01/6/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार राज. उप.। दावा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/708

नम्बर व ता
अहलकाम औ
हुक्म की तामि
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीणा आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 352 / 2024 GCMS:-2024/708 **दायर दिनांकः— 12—11—2024**

रामकुमार पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादी

बनाम

1— पुरखाराम पुत्र श्री फरसाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2— शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सूरतगढ

3— श्रीमान उप पंजीयक सूरतगढ ।

4—श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 पेरोकार राज

——— प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1—श्री राजवीर भादू अभिभाषक , महेन्द्र कुमार , सुर्य प्रकाश चौहान वादी

2— पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:— दिनांक :— 01·06·2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षैप तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 नाम से भूमि वाके चक 3 एस एम आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 22 / 16 के प0न0 114 / 45 मु0न0 32 के किला न0 15 ता 18, 22 ता 25 / 2.024 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 114 / 46 मु0न0 38 के किला न0 2 / 1 में 0.051 है0 , 3 / 2 में 0.190 है0 , 4 / 1 में 0.190 है0, 5 / 2 में 0.189 है0 = 0.620 है0 कमाण्ड ,प0न0 114 / 53 मु0न0 33 के किला न0 21 / 2 में 0.228 है0 क0, प0न0 114 / 54 मु0न0 37 के किला न0 1 / 2 में 0.228 है0 कुल 3.100 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि एवं रोही सोमासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46 / 46 के खसरा न0 116 में 3.934 है0 बारानी, खसरा न0 353 / 115 में 3.567 है0 बारानी कुल 7.501 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को वादी के दादा फरसाराम पुत्र श्री हीराराम व दादी बोगा देवी से विरास्तन प्राप्त हुई है । वादी के दादा फरसराम व दादी बोगादेवी के नाम की भूमि पैतृक एवं सहदायी सम्पति वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त होने के कारण वादी का उक्त जैरवाद भूमि में जन्म जात हक व अधिकार कानूनी रूप से निहित हो चुका है । वादी के पिता प्रतिवादी न0 1 को यह रकबा विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा इस रकबा को समतल करके ट्रेक्टरो से करावा लगाकर व गोबर की खाद डालकर उपजाऊ बनाया गया था। इस रकबा को सुधारने में व बंजर तोड़ने में पूरे परिवार का खर्चा व परिश्रम लगा है। इसलिये उक्त रकबा हिन्दू सहदायी सम्पति होने के कारण पूरे परिवार की सम्पति है व वादी अपने पिता प्रतिवादी न0 1 के नाम जैरवाद भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी न0 1 को जैरवाद भूमि पैतृक व सहदायी सम्पति के रूप में प्राप्त होने के कारण वादी के हक व अधिकार जन्म से ही निहित हो चुके है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह मद प्रतिपादित किया गया है कि जहां कृशि भूमि पैतृक हो तो पिता के मरने के बाद ही उनके बच्चो को अधिकार प्राप्त हो सही नही है। ऐसी पैतृक भूमि पर पिता के जीवनकाल में भी लड़के पैदाईशी हक रखते है। तथा पिता के जीवनकाल में वे घोषणा व विभाजन का दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। 1993 RRD पेज 343 , 1978 RRD पेज 375 विवरण दिया हुआ है। इसलिए वादी के द्वारा पैतृक सम्पति में अपने हक व अधिकारो की घोषणा का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बावजूद तलबी सुचना हाजिर नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई । जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा पेश नही करने पर कोई आपत्ति न होने के कारण तनकी कायम नही की गई ।

इसके पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं समस्त दस्तावैजो को प्रदर्श नम्बर डाले गये । वादी के अभिभाषकगण एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यें को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 नाम से भूमि वाके चक 3 एस एम आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 22/16 के प0न0 114/45 मु0न0 32 के किला न0 15 ता 18, 22 ता 25/2.024 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 114/46 मु0न0 38 के किला न0 2/1 में 0.051 है0 , 3/2 में 0.190 है0 , 4/1 में 0.190 है0, 5/2 में 0.189 है0 = 0.620 है0 कमाण्ड ,प0न0 114/53 मु0न0 33 के किला न0 21/2 में 0.228 है0 क0, प0न0 114/54 मु0न0 37 के किला न0 1/2 में 0.228 है0 कुल 3.100 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि एवं रोही सोमासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/46 के खसरा न0 116 में 3.934 है0 बारानी, खसरा न0 353/115 में 3.567 है0 बारानी कुल 7.501 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को वादी के दादा फरसाराम पुत्र श्री हीराराम व दादी बोगा देवी से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी के दादा फरसराम व दादी बोगादेवी के नाम की भूमि पैतृक एवं सहदायी सम्पति वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त होने के कारण वादी का उक्त जैरवाद भूमि में जन्म जात हक व अधिकार कानूनी रूप से निहित हो चुका है । वादी के पिता प्रतिवादी न0 1 को यह रकबा विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा इस रकबा को समतल करके ट्रेक्टरो से करावा लगाकर व गोबर की खाद डालकर उपजाऊ बनाया गया था। इस रकबा को सुधारने में व बंजर तोड़ने में पूरे परिवार का खर्चा व परिश्रम लगा है। इसलिये उक्त रकबा हिन्दू सहदायी सम्पति होने के कारण पूरे परिवार की सम्पति है व वादी अपने पिता प्रतिवादी नं0 1 के नाम जैरवाद भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का कांनूनन हकदार है। जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है । प्रतिवादी नं0 1 को जैरवाद भूमि पैतृक व सहदायी सम्पति के रूप में प्राप्त होने के कारण वादी के हक व अधिकार जन्म से ही निहित हो चुके है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह मद प्रतिपादित किया गया है कि जहां कृशि भूमि पैतृक हो तो पिता के मरने के बाद ही उनके बच्चो को अधिकार प्राप्त हो सही नही है। ऐसी पैतृक भूमि पर पिता के जीवनकाल में भी लड़के पैदाईशी हक रखते है। तथा पिता के जीवनकाल में वे घोषणा व विभाजन का दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। 1993 RRD पेज 343 , 1978 RRD पेज 375 विवरण दिया हुआ है। इसलिए वादी के द्वारा पैतृक सम्पति में अपने हक व अधिकारो की घोषणा का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया । वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 नाम से भूमि वाके चक 3 एस एम आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 22/16 के प0न0 114/45 मु0न0 32 के किला न0 15 ता 18, 22 ता 25/2.024 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 114/46 मु0न0 38 के किला न0 2/1 में 0.051 है0 , 3/2 में 0.190 है0 , 4/1 में 0.190 है0, 5/2 में 0.189 है0 = 0.620 है0 कमाण्ड ,प0न0 114/53 मु0न0 33 के किला न0 21/2 में 0.228 है0 क0, प0न0 114/54 मु0न0 37 के किला न0 1/2 में 0.228 है0 कुल 3.100 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि एवं रोही सोमासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/46 के खसरा न0 116 में 3.934 है0 बारानी, खसरा न0 353/115 में 3.567 है0 बारानी कुल 7.501 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को वादी के दादा फरसाराम पुत्र श्री हीराराम व दादी बोगा देवी से विरास्तन प्राप्त हुई है । वादी के दादा फरसराम व दादी बोगादेवी के नाम की भूमि पैतृिक एवं सहदायी सम्पति वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त होने के कारण वादी का उक्त जैरवाद भूमि में जन्म जात हक व अधिकार कानूनी रूप से निहित हो चुका है। वादी के पिता प्रतिवादी न0 1 को यह रकबा विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा इस रकबा को समतल करके ट्रेक्टरो से करावा लगाकर व गोबर की खाद डालकर उपजाऊ बनाया गया था। इस रकबा को सुधारने में व बंजर तोड़ने में पूरे परिवार का खर्चा व परिश्रम लगा है। इसलिये उक्त रकबा हिन्दू सहदायी सम्पति होने के कारण पूरे परिवार की सम्पति है व वादी अपने पिता प्रतिवादी नं0 1 के नाम जैरवाद भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन हकदार है। जैरवाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है । प्रतिवादी न0 1 को जैरवाद भूमि पैतृिक व सहदायी सम्पति के रूप में प्राप्त होने के कारण वादी के हक व अधिकार जन्म से ही निहित हो चुके है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह मद प्रतिपादित किया गया है कि जहां कृशि भूमि पैतृिक हो तो पिता के मरने के बाद ही उनके बच्चो को अधिकार प्राप्त हो सही नही है। ऐसी पैतृिक भूमि पर पिता के जीवनकाल में भी लड़के पैदाई ी हक रखते है। तथा पिता के जीवनकाल में वे घोषणा व विभाजन का दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD पेज 343 , 1978 RRD पेज 375 पूर्ण रूप से चस्पा होती है । पैतृिक सम्पति में अपने हक व अधिकारो की घोषणा किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा वाके चक 3 एस एम आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 22/16 के प0न0 114/45 मु0न0 32 के किला न0 15 ता 18, 22 ता 25/2.024 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 114/46 मु0न0 38 के किला न0 2/1 में 0.051 है0 , 3/2 में 0.190 है0 , 4/1 में 0.190 है0, 5/2 में 0.189 है0 = 0.620 है0 कमाण्ड ,प0न0 114/53 मु0न0 33 के किला न0 21/2 में 0.228 है0 क0, प0न0 114/54 मु0न0 37 के किला नं0 1/2 में 0.228 है0 कुल 3.100 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 1.550 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि एवं रोही सोमासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/46 के खसरा न0 116 में 3.934 है0 बारानी, खसरा न0 353/115 में 3.567 है0 बारानी कुल 7.501 है0 बारानी खातेदारी भूमि में 3.850 है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादी न0 1 पुरखाराम पुत्र फरसाराम के नाम से कलमजन कर वादी रामकुमार पुत्र श्री पुरखा राम के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । डिकी जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना -2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीणा आई. ए. एस.

अनवान :

रामकुमार पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
–––– वादी

बनाम

1– पुरखाराम पुत्र श्री फरसाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
2– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंण्डिया शाखा सूरतगढ
3– श्रीमान उप पंजीयक सूरतगढ ।
4–श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 पेरोकार राज
––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 352 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, महेन्द्र कुमार , सुर्य प्रकाश चौहान , प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बावजूद सुचना उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 3 एस एम आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 22/16 के प0न0 114/45 मु0न0 32 के किला न0 15 ता 18, 22 ता 25/2.024 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 114/46 मु0न0 38 के किला न0 2/1 में 0.051 है0 , 3/2 में 0.190 है0 , 4/1 में 0.190 है0, 5/2 में 0.189 है0 = 0.620 है0 कमाण्ड ,प0न0 114/53 मु0न0 33 के किला न0 21/2 में 0.228 है0 क0, प0न0 114/54 मु0न0 37 के किला नं0 1/2 में 0.228 है0 कुल 3.100 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 1.550 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि एवं रोही सोमासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/46 के खसरा न0 116 में 3.934 है0 बारानी, खसरा नं0 353/115 में 3.567 है0 बारानी कुल 7.501 है0 बारानी खातेदारी भूमि में 3.850 है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादी न0 1 पुरखाराम पुत्र फरसाराम के नाम से कलमजन कर वादी रामकुमार पुत्र श्री पुरखा राम के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है ।

नोज ....×..................मुबलिग ......×..........बाबत ....×............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×...............फसदो की पालना.........×...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.26 को जारी की गई।

(भरत जयप्रकाश मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)